

प्रेषिका,  
रेशमा प्रवीण,  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
इलाहाबाद।

सेवा में,  
श्रीमान् महानिबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा : श्रीमान् जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद।

विषय: सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर की गयी सेवा को वर्तमान न्यायिक सेवा में संयोजन के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

सम्मान निवेदन करना है कि मेरे द्वारा दिनांक 29.06.2006 को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में पदभार ग्रहण किया गया, इसके पूर्व मैंने दिनांक 28.04.2005 से दिनांक 28.6.2006 तक निरन्तर सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दी गयीं।

पूर्व में मेरे द्वारा दिनांक 15.12.2008 को इस सम्बन्ध में माननीय महोदय को प्रत्यावेदन जनपद न्यायाधीश बदौयू के पत्रांक संख्या 2327/ I दिनांकित 18.12.2008 के माध्यम से प्रेषित किया गया था, जिसपर माननीय महोदय के पत्रांक संख्या 17091/ IV-3208/ एडमिन ए-1 अनुभाग दिनांकित 15.12.2009 के माध्यम से मुझे अवगत कराया गया कि मैं पुनः पूर्व सेवा को वर्तमान सेवा में समायोजित करने हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकती हूँ।

यह यह उल्लेखनीय है कि मेरे बैंच के कुछ न्यायिक अधिकारियों की पूर्व सेवा उपायोजित अवकाश हेतु पूर्व में समायोजित की गयी है। मेरी पूर्व सेवा की मूल सेवापुस्तिका एवं वर्तमान सेवा की मूल सेवापुस्तिका अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, इलाहाबाद में जमा है।

अतः माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि मेरे द्वारा दिनांक 28.4.2005 से दिनांक 28.6.2006 तक सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर की गयी सेवा को वर्तमान न्यायिक सेवा में समायोजित करने की महती कृपा करें।

ससम्मान।

भवदीया,

12/7/17  
(रेशमा प्रवीण)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
इलाहाबाद।

दिनांक: 01 जुलाई, 2017 ई०

संलग्नक:

1. पूर्व में प्रेषित प्रत्यावेदन की छायाप्रति।
2. माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त पत्र की छायाप्रति।

1683) I 03/7/17

1/7/17  
Principal Judge, Allahabad

सेवा में,

श्रीमान प्रवीण,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,  
बदायूं ।

सेवा में,

श्रीमान महासिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद ।

द्वारा,

श्रीमान जमपद न्यायाधीश,  
बदायूं ।

विषय : तहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर की गयी सेवा  
को वर्तमान न्यायिक सेवा में संयोजन के सम्बन्ध में ।  
XX

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के  
अधीनस्थ दिनांक 29-06-2006 को उच्च न्यायिक सेवा में न्यायिक  
मजिस्ट्रेट प्रथम, बदायूं का पद भार गृहण करने से पूर्व में दिनांक  
29-06-2006 तक तहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर सेवारत  
थी । मैंने उच्च अभियोजन निदेशालय के आधीन दिनांक <sup>28-4-0</sup>~~24-7-2~~  
से दिनांक 28-6-2006 तक निरन्तर सेवा की है तथा दिनांक  
28-06-2006 की अपरान्ह में अभियोजन निदेशालय द्वारा कार्यमुक्त  
किये जाने के उपरान्त मैंने दिनांक 29-06-2006 की पूर्वान्ह में  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, बदायूं का पद भार गृहण किया था । इस  
प्रकार मेरे द्वारा दिनांक 28-04-2005 से दिनांक 28-06-2006  
तक तहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर की गयी सेवा, मेरी  
वर्तमान न्यायिक सेवा में संयोजित किये जाने योग्य है ।

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि मेरे द्वारा  
दिनांक 28-04-2005 से दिनांक 28-06-2006 तक तहायक अभि-  
योजन अधिकारी के पद पर की गयी सेवा को वर्तमान न्यायिक  
सेवा में समांयोजित करने की कृपा करें ।

भवदीया,

  
15/12/15

श्रीमान प्रवीण  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम,  
बदायूं ।

Office of the District Judge

BUDAUN

2227/1 Dated 18-12-08

FORWARDED

DISTRICT JUDGE  
BUDAUN

संलग्नक :

1- सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायिक सेवा ।

From,

Surendra Bahadur,  
Joint Registrar (M),  
High Court of Judicature at  
Allahabad.

Registered if by post

To,

The District Judge,  
Mathura.

No:- /IV-3208/ Admin A-1 Sec., Dated :

Sub: Counting of Previous Service of Reshma Praween, the then Judicial Magistrate, Budaun now posted as Civil Judge, (Jr. Div.), Mathura.

Sir,

I am directed to return herewith two service books (in original) in respect of U.P. Nyayik Sewa as well as Service book pertaining to previous service as A.P.O. of Reshma Praween, Civil Judge, (Jr. Div.), Mathura alongwith copy of Government letter no.1701/II-4-2009, dated 27.10.2009 and letter no.1707/II-4-2008-23 (14)/2007, dated 25.09.2009 and to request you kindly to ask Reshma Praween to peruse the Government letter no.1701/II-4-2009, dated 27.10.2009 and letter no.1707/II-4-2008-23 (14)/2007, dated 25.09.2009 and if she desires to make request for counting of her previous service then she should make fresh representation for this purpose.

Encl:- As above

- (i) Original service book of U.P. Nyayik Sewa
- (ii) Original service book of Previous Service.
- (iii) Two Government letters


Yours Faithfully

Joint Registrar

No:- 17091/IV-3208/ Admin A-1 Sec., Dated : 15-12-09

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The District Judge, Budaun with reference to your endorsement no.2327/II, dated 18.12.2008.
2. Reshma Praween, Civil Judge, (Jr. Div.), Mathura.

  
15/12/2009  
Joint Registrar  
15/12/09



From,

Surendra Bahadur,  
Joint Registrar (M),  
High Court of Judicature at  
Allahabad.

1638/I  
16-12-2009

To,

The District Judge,  
Mathura.

No:- 1709/IV-3208/ Admin A-1 Sec., Dated : 15-12-09

Sub: Counting of Previous Service of Reshma Praween, the then Judicial Magistrate, Budaun now posted as Civil Judge, (Jr. Div.), Mathura.

Sir,

I am directed to return herewith two service books (in original) in respect of U.P. Nyayik Sewa as well as Service book pertaining to previous service as A.P.O. of Reshma Praween, Civil Judge, (Jr. Div.), Mathura alongwith copy of Government letter no.1701/II-4-2009, dated 27.10.2009 and letter no.1707/II-4-2008-23 (14)/2007, dated 25.09.2009 and to request you kindly to ask Reshma Praween to peruse the Government letter no.1701/II-4-2009, dated 27.10.2009 and letter no.1707/II-4-2008-23 (14)/2007, dated 25.09.2009 and if she desires to make request for counting of her previous service then she should make fresh representation for this purpose.

Encl:- As above

Yours Faithfully

- (i) Original service book of U.P. Nyayik Sewa
- (ii) Original service book of Previous Service.
- (iii) Two Government letters

*S. Bahadur*  
16/12/2009  
Joint Registrar  
16/12/09

No:- /IV-3208/ Admin A-1 Sec., Dated :

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The District Judge, Budaun with reference to your endorsement no.2327/II, dated 18.12.2008.
2. Reshma Praween, Civil Judge, (Jr. Div.), Mathura.

Joint Registrar

उपरोक्त  
के लिये प्रस्तावित की जा रही है  
उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत कार्य के लिये  
आवश्यकतानुसार  
श्री सुन्दर प्रसाद  
16-12-09

Sarital  
6-11-09  
W.O. Encl

758 (3)

प्रेषक,

अवधेश कुमार सिंह राठौर,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

संख्या-1701/दो-4-2009

संयुक्त निबंधक,  
उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

निशचित अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 27 अक्टूबर, 2009

विषय- श्री भूपेश कुमार गुप्ता, श्री संजीव कुमार सिंह, एवं श्री संजय कुमार सिंह  
सिविल जज (जू.डि.) की पूर्व सेवाओं की गणना के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय पर कृपया आपकी पत्र संख्या-4523/चार-3172/एडमिन  
(ए) दिनांक 15.4.2009, पत्र संख्या-4624/चार-3154/एडमिन(ए), दिनांक 16.4.09, पत्र  
सं०-4845/चार-3454/एडमिन (ए), दिनांक 20.4.09, जयभास्कर हर प्रस्तावों के संदर्भ में  
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री भूपेश कुमार गुप्ता, सिविल जज (जू.डि.) राठौर  
हमीरपुर द्वारा दिनांक 22.6.06 को न्यायिक सेवा में योगदान देने से पूर्व 7.12.04 से 21.6.  
06 तक लेखा परीक्षक व व्यापार कर अधिकारी, डी.सी. के पद पर एवं श्री संजीव कुमार  
सिंह, सिविल जज (जू.डि.) गाजियाबाद द्वारा दिनांक 15.6.2006 को न्यायिक सेवा में  
योगदान देने से पूर्व दिनांक 7.12.2004 से 14.6.2006 तक लेखा परीक्षक सन्तरविदास नगर,  
नयीही के पद पर एवं श्री संजय कुमार सिंह, अपर सिविल जज (जू.डि.) पीलीभीत द्वारा  
न्यायिक सेवा में दिनांक 17.6.2006 को योगदान करने से पूर्व दिनांक 26.6.2001 से 16.6.  
2006 तक सहायक लेखा अधिकारी के पद पर की गयी पूर्व सेवाओं की सेवानिवृत्तिक लाभ  
हमें गणना के सम्बन्ध में वित्त विभाग से प्राप्त फ़ारमों के अनुसार दिनांक 1.4.2005 अथवा  
उसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर नई परिभाषित अंशदारी पेंशन योजना की  
व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होने के कारण दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त  
योगदान करने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा  
के साथ सेवा नैवृत्तिक लाभ हेतु जोड़े जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। इसके  
आतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 1.4.2005 या उसके बाद सेवा में प्रवेश  
करने वाले कर्मचारी जी.पी.एफ. की सदस्यता नहीं ग्रहण करेंगे।

2- कृपया तदनुसार अवगत होने एवं सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट  
करें।

35 M  
S. Sharma M/A

भवदीय,  
(अवधेश कुमार सिंह राठौर)  
विशेष सचिव

संख्या-1701(1)/दो-4-2009, तददिनांक।

35 M  
S. Sharma M/A

- इतिदिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र० इलाहाबाद।
  - 2- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
  - 3- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय शिविर कार्यालय कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
  - 4- जनपद न्यायाधीश, हमीरपुर/गाजियाबाद/पीलीभीत।
  - 5- सम्बन्धित अधिकारीगण।
  - 6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
  - 7- गार्ड टुक हेतु।

JR (M)  
W.O. Encl.

आज्ञा से,  
(डा० सुनील कुमार)  
अनु सचिव

NOV 2009

Pankaj  
6-11-09



9-10-09  
श्री कर्मलेश कुमार पाटक

रजि-25

संख्या-1767/दो-4-2008-23(14)/2007

अध्यायक कुमार सिंह राठौर,  
विशेष सचिव,  
उच्च न्यायालय।

9/10  
2

873  
3/55  
25  
Serial

26-11-09

महानिरीक्षक,  
उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

नियुक्ति आ-मान-4

लखनऊ: दिनांक 25 सितम्बर, 2009

विषय - श्री कमलेश कुमार पाटक, अपर सिविल जज (जू.डि.) की पूर्ण सेवाओं की गणना।  
माहोदय

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-8802/चार-315/एडमि-ए(ए) दिनांक 21-7-2008, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री पाटक द्वारा उच्च न्यायिक सेवा में दिनांक 14-6-2006 को योगदान करने से पूर्व महानिरीक्षक निबंधन लखनऊ में उप निबंधक के पद पर दिनांक 20.2.98 से दिनांक 13.6.2006 तक की गई सेवाओं को सेवानैवृत्तिक लाम हेतु आगणित के लिये सम्बन्ध में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू होने के कारण दिनांक 1.4.2005 अथवा उसके उपरान्त योगदान करने पर सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा के साथ सेवानैवृत्तिक लाम हेतु आगणित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 1.4.2005 या उसके बाद सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी जी.पी.एफ. की सदस्यता नहीं ग्रहण करेंगे।

2- श्री पाटक की न्यायिक सेवा की सेवापुस्तिका संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।  
सललनक-संदापुस्तिका (मूलरूप में)

मुपदीय

(अवधेश कुमार सिंह राठौर)  
विशेष सचिव।

संख्या 1767(1)/दो-4-2009-23(14)/07, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद
- 2- निदेशक पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन 8वाँ तल, उ०प्र०, लखनऊ
- 3- अपर निदेशक, पेंशन कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- 4- जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद।
- 5- श्री कमलेश कुमार पाटक, अपर सिविल जज (जू.डि.) इलाहाबाद।
- 6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
- 7- गार्ड टुक हेतु।

आज्ञा से,

(डा० सुनील कुमार)  
अनु सचिव।

18 OCT 2009

S.O. Adm. H/A

J.R.M.  
08-10-09

From,  
Ram Prasad,  
Deputy Registrar (M),  
High Court of Judicature at  
Allahabad.

To,  
The Under Secretary,  
Appointment Section-4,  
Government of U.P,  
Lucknow.

No. /IV-3208/Admin.(A)

Dated: August ,2018.

Subject: Counting of previous service of Smt. Reshma Chaudhary, earlier Chief Judicial Magistrate, Allahabad now Additional District & Sessions Judge, Bareilly with her present service in U.P. Judicial Services.

Sir,

In continuation of Court's letter no. 2012/IV-3208/Admin(A) dated 03.02.2018 and reminder letter no. 7277/IV-3208/Admin(A) dated 10.05.2018, issued on the above captioned subject, I am directed to send herewith copy of endorsement No. 1683/I dated 03.07.17, alongwith its enclosures, of the District Judge, Allahabad.

I am further to say that Smt. Reshma Chaudhary joined U.P. Judicial Services as Judicial Magistrate, Budaun in forenoon of 29.06.2006. Prior to entering into U.P. Judicial Services, she was working as Assistant Prosecution Officer in Directorate of Prosecution, U.P. from 28.04.2005 till 28.06.2006, under administration of U.P. State Government. Besides, I am to say that earlier also vide application dated 15.12.2008 Smt. Reshma requested for counting of service but same was turned down vide Court's letter no. 17090/IV-3208/Admin A-1 dated 15.12.2009, as those days applications of officers covered under New Pension Scheme were being rejected from Government end.

I, therefore, request you to kindly obtain necessary orders of Government in instant matter, at an early date, under intimation to this Court.

Enclosures:

- 1) Copy of endt. No. 1683/I dt 03.07.17, alongwith its enclosures, of the DJ, Allahabad.
- 2) Copy of Government letter dt 27.10.09 & 25.09.09.

Yours faithfully,

Deputy Registrar(M)

No. 12094 /IV-3208/Admin.(A)

Dated: August 23<sup>rd</sup>, 2018.

Copy forwarded for information and necessary action to :

- (1) The District Judge, Bareilly .
- (2) The District Judge, Allahabad with reference to endt. no. 1683/I dated 03.07.17.
- (3) Smt. Reshma Chaudhary, Additional District & Sessions Judge, Bareilly.

R/d  
6/8/2018  
Deputy Registrar(M)

GE  
06/08/18



From,

Ram Prasad,  
Deputy Registrar(M),  
High Court of Judicature at  
Allahabad.

Registered Post

To,

The Special Secretary,  
Appointment Section-4,  
Government of U.P.,  
Lucknow.

No. /IV-3208/Admin.(A)

Dated: ,2018.

Subject: Request for issuance of guidelines/clarification with respect to counting of previous service of U.P. Judicial Officers covered under New Pension Scheme in both previous as well as present service.

Sir,

with reference to aforesaid subject, I am directed to seek your kind attention towards those U.P. Judicial Officers who are covered under New Pension Scheme in both previous & present service as well as send applications of 5 judicial officers namely Mrs. Reshma Praween, Chief Judicial Magistrate, Allahabad; Ms. Shabina Khan, Additional Civil Judge(Junior Division), Lakhimpur-Kheri; Ms. Sneha, Additional Civil Judge(Junior Division), Jaunpur; Smt. Minakshi Sinha, Civil Judge(Junior Division), Pratapgarh & Sri Arun Kumar Yadava, Civil Judge(Junior Division), Sultanpur who have recently presented applications in the office of this Court pertaining to counting of service rendered by them, prior to entering into U.P. Judicial Services/U.P.H.J.S.

In this respect, I have to say that there is no Government Order which may specifically clarify whether such Judicial Officers stand any admissibility to avail benefits of counting of previous service with present service. Besides, it is not clear whether they will get any retiral benefit on account of counting of previous service, as availed by old pension scheme subscribers.

I am further to say that there are several contradictory matters (such as Smt. Shikha Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Allahabad) where counting of previous service has been approved by Government of U.P., despite the officer being a subscriber of New Pension Scheme, thus giving rise to even more uncertainty.

I, therefore, request you to kindly issue necessary guidelines in this respect in order to clarify the situation in hand and enable further processing on all pending applications.

Enclosures:

- (1) Applications of 5 judicial officers namely Mrs. Reshma Praween, CJM, Allahabad, Ms. Shabina Khan, Addl. Civil Judge(JD), Lakhimpur-Kheri, Ms. Sneha, Addl. Civil Judge(JD), Jaunpur, Smt. Minakshi Sinha, Civil Judge(JD), Pratapgarh, Sri Arun Kumar Yadava, Civil Judge(JD), Sultanpur.

Yours faithfully,

Deputy Registrar(M)

- (2) Copy of Govt. Memo dated 31.10.2007

Dated: 03-02-2018.

No. 2013 /IV-3208/Admin.(A)

Copy forwarded for information and necessary action to following :

- (1) Mrs. Reshma Praween, Chief Judicial Magistrate, Allahabad.
- (2) Ms. Shabina Khan, Addl. Civil Judge(Junior Division), Lakhimpur-Kheri.
- (3) Ms. Sneha, Addl. Civil Judge(Junior Division), Jaunpur.
- (4) Smt. Minakshi Sinha, Civil Judge(Junior Division), Pratapgarh.
- (5) Sri Arun Kumar Yadava, Civil Judge(Junior Division), Sultanpur.

Deputy Registrar(M)

02/27/18



# Service Book

## सेवा पंजिका

नाम कर्मचारी ..... रेशमा प्रवीण .....

पद ..... सहायक अभियोजन अधिकारी .....

नियुक्ति तिथि ..... 28/04/2005 .....

विभाग ..... अभियोजन विभाग .....



**Sahkari Mudran Audyogic Samiti Ltd.**

A-1, Industrial Estate, Roshan Bagh, Civil Lines, Rampur - 244 901 (U.P.)

Ph. & Fax : 0595-2351130, Mobile : 9837024885,

e-mail : mrakjain07@sancharnet.in

Thumb & finger Impression of non-gazetted officer

2

Right Hand

nger

2nd. finger

3rd. finger

ger

Thumb

Left Hand

inger

2nd. finger

3rd. finger

Thumb

3

PARTICULARS

1- Name नाम	रेशमा प्रवीण
2- Father's Name पिता का नाम	श्री रतलीम अहमद
3- Residence निवास स्थान	न्यू कोर्ट रोड आदर्श कालोनी बली नं-5 जनपद- बागपत पिन - 250609
4- Religion & Caste धर्म एवं जाति	मुस्लिम - राजपूत
5- Date of Birth by the Christian era nearly can be ascertained जन्म दिनांक	08/08/1977 आठ अगस्त उन्नीस सौ सत्सहस्र
6- Educational Qualification शैक्षिक योग्यता	बी. ए. एल. एल. बी. B.A. LL.B.
7- Exact Height by measurement ठीक-ठीक ऊँचाई	5" 4 पाँच फुट चार इंच
8- Personal marks for Identification वैयक्तिक अभिज्ञान चिन्ह	माथे पर बायी ओर चाँट का निशान
9- Signature of Employee कर्मचारी के हस्ताक्षर	Reshma
10- Signature & Designation of the Head of the Officer or other Attesting Officer कार्यालयाध्यक्ष या दूसरे अभिप्रमाणन	4/2/2015

















# लोक सेवा आयोग, उ0प्र0

विज्ञापन संख्या-  
ए-2/ई-1/2003

## उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003

आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि: 19 दिसम्बर, 2003

डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र वितरण की तिथि : 22 नवम्बर, 2003

**आवश्यक सूचना**  
 यह विज्ञापन उ.प्र. लोक सेवा आयोग के वेबसाइट <http://uppsc.nic.in> पर भी उपलब्ध है।  
 2. इस परीक्षा में ओ.ए.ए.आर. आवेदन पत्र प्रदत्त किया है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र विभाजन में प्रेषित करने के लिए यह डाकघरों से प्राप्त कर सकते हैं। जे.पी.ओ. सिविल जज के आवेदन पत्रों। सामान्य अभ्यर्थियों उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अतिरिक्त अभ्यर्थियों हेतु। का मूल्य रु. 150/- तथा ओ.ए.ए.आर. सिविल जज के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु। का मूल्य रु. 80/- है। उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रेषित करने के लिए उ.प्र. के अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की फोटो स्टैंड प्रति अपने पास रखनी है। तथा प्रेषित के पश्चात् ओ.ए.ए.आर. आवेदन पत्र के नम्बर का अन्तिम अंक दर्ज करें।

उ.प्र. लोक सेवा आयोग, उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा (लिखित परीक्षा) में प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्धारित है। उन्निहित जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर मार्च, 2004 में एक प्राथमिक परीक्षा का आयोजन करेगा।

परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा केंद्रों का नाम अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों का आवेदन आयोग द्वारा स्वयंसेवकानुसार किया जाएगा।

**2. शिर्षकों** - शिर्षकों की कुल संख्या 347 है जिसमें उ.प्र. के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 73, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 07, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 94 एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 173 शिर्षकों आवंटित हैं। शासनादेश संख्या-18/1/95-का 2/1995 टी.सी.-1/97, दिनांक 20.9.97 में दिए निर्दिष्टानुसार उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अतिरिक्त काटा प्रतिलाल तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिकों को एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त किया जाएगा। पद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उ.प्र. के समाज के विभिन्न वर्गों की आरक्षण दिया जाना अनुमत्त नहीं है।

**नोट** - (1) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के सम्बन्ध में इस विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्राप्त कर ले एवं उससे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। (2) आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी ओ.ए.ए.आर. आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी अवश्य अंकित करें। (3) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक पत्र जो अधिक लाभकारी हो, ही जमावेनी। (4) अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अतिरिक्त एवं भूतपूर्व सैनिक जो उ.प्र. राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमत्त नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जाएंगे। (5) उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के नियम-8 के अन्तर्गत उ.प्र. की महिलाओं के लिए आरक्षित शिर्षकों - (1) विशेष अनुज्ञा पत्रिका सं. 15768/2001 मजदुरा सरकार बनाम हरेंद्र बहादुर सिंह, (2) विशेष अनुज्ञा पत्रिका संख्या - 18822/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरेंद्र बहादुर सिंह, (3) विशेष अनुज्ञा पत्रिका संख्या - 628/2001 कृ. शिवानी जयसवाल बनाम हरेंद्र बहादुर सिंह, (4) विशेष अनुज्ञा पत्रिका संख्या-18824/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरेंद्र बहादुर सिंह एवं (5) विशेष अनुज्ञा पत्रिका संख्या - 18/2001 कृ. शिवानी जयसवाल बनाम हरेंद्र बहादुर सिंह में प्र. उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तित निर्णय के अंतर्गत होने, सम्बन्धित शिर्षकों के शिर्षकों की संख्या में परिवर्तन का प्रावधान है।

जाने चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जायेंगे। हल्की हल्की आवेदन पत्र जमा करने पर काफ़रत से रसीद अवश्य प्राप्त करें।

- 8. डाकघरों की सूची** - आगरा (282 001), भदोई (202 122), इलाहाबाद (एच.ओ. 1211 001), इलाहाबाद कचहरी (211 002), इलाहाबाद कैबलरी लाइन्स (211 004), इलाहाबाद (सामान्य) 211 006, इलाहाबाद सिटी 211 003, अम्बेडकर नगर अकबरपुर 224 122, औरंगा-200 122, आजमगढ़ 276 001, बदायूं-243 601, बागपत-250 009, बहराइच-271 801, बलरामपुर-271 201, बलिया-277 001, बांदा-210 001, बाराबंकी - 225 001, बरेली-243 001, बस्ती (बांसी)-272 161, बिजनौर-246 701, बुंदेलखण्ड-203 001, चन्दौली-232 109, चित्रकूट (कौशी)-201 205, देवरिया-274 001, एटा-207 095, इटावा-206 001, फैजाबाद-224 001, फर्रुखाबाद (फतेहगढ़)-209 625, फतेहपुर-212 601, फिरोजाबाद-283 203, गौतमबुद्धनगर (नोएडा)-201 301, गाजियाबाद-201 001, गाजीपुर-233 001, गोंडा-271 001, गोरखपुर-273 001, हमीरपुर-210 301, हरदोई-241 001, हाथरस-207 101, जातौल (उरई) 285 001, जौनपुर-222 001, झांसी-284 001, जयसिंघाफुलेनगर (अमरोहा) 272 127, कन्नौज-209725, कानपुर जी.पी.ओ.-208 004, कानपुर कैंट-208 001, कानपुर नवाबगंज, कौशाम्बी (मझनपुर)-212 207, कुशीनगर (पटवौली)-274 304, लखीमपुर खीरी-262 701, ललितपुर-284 403, लखनऊ जी.पी.ओ.-226 001, लखनऊ (चौक)-226 003, महाराजगंज-221 010, महोबा-210 427, मैनपुरी 205 001, मथुरा-281 001, मऊ-275 101, मेरठ-250 001, मिर्जापुर-231 001, मुरादाबाद-244 001, मुजफ्फरनगर-251 001, पौलीभीत-262 001, प्रतापगढ़-230 001, रायबरेली-229 001, रामपुर-244 801, सगरनपुर-247 001, संतकबीर नगर (खेतौलाबाद), सत रविदास नगर (भदोही), शाहजहाँपुर-242 001, थावरली (भिंमग), सिद्धार्थनगर (दिल्ली बाजार), सीतापुर-267 001, सोनभद्र (रावठसगंज), सुल्तानपुर-228 001, उम्राह-209 801, वाराणसी एच.व्यू. - 221 001, वाराणसी कैंट-221 002।

**9. महत्वपूर्ण निर्देश**

- (1) एक तिफाके में एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र होने अथवा एक तिफाके में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने अथवा अभ्यर्थी द्वारा अपने ही नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए जाने पर सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। फैंस द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
- (2) किसी भी प्रकार से अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र समधान्यार्गत होने के बावजूद भी सरकारी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जायेंगे।
- (3) आयोग सभी आवेदन पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करेगा। यदि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिमतिथि के 30 दिन बाद तक कोई सूचना न प्राप्त हो तो अभ्यर्थी को अनुसमारक भेजना चाहिए। आयोग कार्यलय में जमा किए जाने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद प्रस्तुतिकरण के समय दी जाती है, प्राप्ति की रसीद अवश्य प्राप्त करें।
- (4) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी जो सेवा से अवसृत नहीं हुए हैं, किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में पुनर्वास के लिए पत्रिका की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या - 22/10/1976-का-2-85, दिनांक 30.1.85 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं -  
 (ए) आवेदकों को सेना, नौसेना, वायुसेना के सक्षम प्राधिकारी का इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी सेवा अवधि पुनर्वास के लिए समाप्त हुई है तथा उनके विरुद्ध कोई अन्तरादेशिक

(संश्लकार) में सम्मिलित होना अनिवार्य है।  
 यदि अभ्यर्थी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्पश्चात् से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। आयोग से सभी पत्रकार में परीक्षा का नाम दिखाने सख्ता जध्यरी का नाम जन्मतिथि तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का अन्वेष अवश्य होना चाहिए।

परिशिष्ट-1

केंद्रों के नाम :-	क.सं.	जनपद	क.सं.	जनपद
	1	आगरा	2	इलाहाबाद
	3	बरेली	4	गोरखपुर
	5	झांसी	6	लखनऊ
	7	मेरठ	8	वाराणसी

परिशिष्ट-2

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा का कार्यक्रम

प्रश्न पत्र-प्रश्न	2 घंटे	अंक-150
<b>सामान्य ज्ञान</b>		
इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक नृत्तगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र अन्तरराष्ट्रीय मामले और संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संसार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।		
इस प्रश्न-पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर का होगा कि एक सुनिश्चित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।		
<b>प्रश्न पत्र-द्वितीय</b>	2 घंटे	अंक-100

**विधि**

इस प्रश्न पत्र में भारत में तथा विश्व में विभिन्न रूप से विविध क्षेत्र में हो रही प्रतिदिन की घटनाएँ, अधिनियम एवं विधियों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

- (I) विधि शास्त्र
- (II) अन्तरराष्ट्रीय सगठन
- (III) वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय प्रकरण
- (IV) भारतीय संविधान
- (V) सम्मति अन्तर्गत अधिनियम
- (VI) भारतीय साक्ष्य अधिनियम
- (VII) भारतीय दण्ड संहिता
- (VIII) सिविल प्रक्रिया संहिता
- (IX) अपराधिक प्रक्रिया संहिता
- (X) सविदा विधि

**उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का कार्यक्रम**

परीक्षा में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे -  
**प्रश्न पत्र संख्या - 1 सामान्य ज्ञान :-**  
 यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। 'सामान्य ज्ञान' का एक प्रश्न पत्र होगा।